

2/8/18

अभिभाषक उमयपस उपस्थित नहीं। कई बार
अन्तराल-अन्तराल में आवर्जें लगवाई गई लेकिन
न तो शर्षों उपस्थित हुआ और न ही उसके अभिभाषक
उपस्थित हुए। कोई उपस्थित नहीं आया। आदेशिका
दिनांक 1/6/18 के अनुसार अभिभाषक शर्षों को अप्रार्थों
संख्या-12 मण्डपुरी के कायम मुकामान की कार्यवाही
करने हेतु अधिसूचित किया गया था परन्तु तीन मोंके
मिषने के बाद भी उनके द्वारा कार्यवाही कायम मु
नहीं की गई। दिनांक 27/7/18 को अंतिम बौका भी
दिया गया परन्तु फिर भी उनके द्वारा कार्यवाही कायम
मुकामान नहीं की गई।

अतः यह प्रकरण अदम हजरी अदम पैरवी
रेंच अशर्षों सं० 12 मण्डपुरी के कायम मुकामान की
कार्यवाही नहीं करने के डिफाल्ट में रखाजि की
जाती है। पशावली फेलष शुमार होकर नम्बर से कम
की जाकर बाद तकमीष दारिखत दफतर है। आदेश
सुनाया गया। दि० 5/2/12 को जारी स्थगन आदेश निश्चलिया
जाता है।

[हरकृष सिंह यादव]

अति० विला कलक्टर
बौलपुर